प्रावधान भी किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

6.2 योजना में नयी तकनीकी सामग्री एवं उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया जायेगा। इसके लिए पथ निर्माण की नयी तकनीक पर आधारित Pilot Projects भी लिए जायेंगे।

6.3 उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी सेवाएँ आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने का भी प्रावधान किया जायेगा और इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

6.4 नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु BRRDA का आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। विशेषकर इसके पदों को प्रतिनियुक्त/संविदा के आधार पर भरने की कार्रवाई की जायेगी।

VII लेखा :–

7.1 प्रत्येक कार्य इकाई के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञों/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जाएंगी। वे प्रत्येक माह प्रमंडल के अभिलेखों की जाँच करेंगे।

7.2 लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

VIII रख–रखाव :–

नाबार्ड योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के रख–रखाव हेतु राज्य बजट की गैर योजना मद की राशि का निवेश होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के पथों का निर्माण किया जाएगा। इस शीर्ष अन्तर्गत चयनित योजनाओं के निर्माण कार्य के साथ ही पंचवर्षीय रख–रखाव की व्यवस्था की जायेगी। राज्य सरकार इन पथों के उचित रख–रखाव के लिए वित्त पोषण के स्थायी स्त्रोत बनाने का प्रयास करेगी। जबतक इस संबंध में स्थायी स्त्रोत विकसित नहीं होते है तबतक इस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले पथों के वार्षिक रख–रखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। प्रशासी विभाग द्वारा विभाग में चल रहे योजनाओं के मरम्मति एवम् रख–रखाव हेतु Maintenance Policy तैयार कर पथ निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है, जिसे समेकित रूप से लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

इस शीर्ष अन्तर्गत योजनाओं के चयन से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया का Flow chart संलग्न है।

IX नाबार्ड योजनाओं का अनुश्रवण :–

9.1 सभी कार्य प्रमंडलों के प्रधान सहायक के द्वारा माह के पॉच तारीख को मुख्यालय स्तर से निर्गत विपत्र में सभी योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाता है एवं माह में एक बार सभी कार्यपालक अभियंताओं को मुख्यालय स्तर पर बैठक बुलाकर योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है।

9.2 सभी प्रमंडलों एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन का मुख्यालय स्तर पर ट्रांस वाइज प्रपत्र में योजना को अद्यतन किया जाता है।

9.3 गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा योजनाओं के गुणवत्ता की जाँच किया जाता है एवं नाबार्ड परियोजना के नोडल पदाधिकारी एवं सहायक अभियंताओं द्वारा भी सप्ताह में दो दिनों का क्षेत्र भ्रमण कार्य एवं योजनाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है।

9.4 जिन परियोजनाओं का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के अंदर प्रारंभ नहीं होता है, उन परियोजनाओं को Non Starter Projects में लिया जाता है एवं इन परियोजनाओं की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा रद्द कर दी जाती है।

X प्रतिपूर्ति दावा :–

10.1 नाबार्ड वित्त सम्पोषित योजनान्तर्गत कार्यान्वित हो रहे योजनाओं का मासिक/त्रैमासिक रूप से योजनाओं पर किये गये अद्यतन व्यय का ब्यौरा प्रतिपूर्ति दावा को प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है जिसे मुख्यालय स्तर पर प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाता है।

10.2 नाबार्ड द्वारा योजना पर व्यय किये गये राशि का 80% राशि वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाता है एवं इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसके आधार पर नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गये राशि को अद्यतन कर लिया जाता है।

10.3 80% राशि में से मोबीलाईजेशन 20% उपलब्ध कराये गये राशि का कुछ प्रतिशत प्रत्येक प्रतिपूर्ति दावा में से Adjust कर लिया जाता है।

10.4 योजना पूर्णता प्रतिवेदन (पी0सी0आर0):–

योजना को पूर्ण हो जाने पर नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता/पुल निर्माण निगम से सूचना प्राप्त कर नाबार्ड को उपलब्ध करा दिया जाता है। Annexure 'F' संलग्न।